

जीएसटी (Goods and Services Tax) का छोटे

व्यवसायों पर प्रभाव

डॉ. अतुल शुक्ला

अतिथि विद्वान वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कर दिया, जिससे छोटे व्यवसायों (Small Businesses) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। यह शोध पत्र जीएसटी के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करता है। सकारात्मक रूप से, कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा, इंटर-स्टेट व्यापार की आसानी तथा कंपोजिशन स्कीम से छोटे व्यापारियों को राहत मिली। 2025 में लागू जीएसटी 2.0 सुधारों (दो मुख्य स्लैब: 5% और 18%, 12% तथा 28% स्लैब का अधिकांश हटाना) ने एमएसएमई की लागत कम की तथा औपचारिकता बढ़ाई।

नकारात्मक रूप से, अनुपालन बोझ, डिजिटल साक्षरता की कमी, आईटीसी रिफंड में देरी तथा कैश फ्लो पर दबाव ने विशेषकर ग्रामीण तथा सूक्ष्म उद्यमों को चुनौती दी। द्वितीयक डेटा (सरकारी रिपोर्ट, PIB, MSME वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, Deloitte सर्वे, विभिन्न शोध पत्र) के आधार पर अध्ययन से पता चलता है कि 2024-25 में सक्रिय जीएसटी पंजीकरण 1.51 करोड़ से अधिक हो गए तथा कुल संग्रह रिकॉर्ड



₹22.08 लाख करोड़ रहा। एमएसएमई क्षेत्र (GDP का ~30%, निर्यात का >45%, 11 करोड़+ रोजगार) लंबे समय में लाभान्वित हुआ, किंतु सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरलीकृत अनुपालन की आवश्यकता बनी हुई है। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि जीएसटी 2.0 के साथ एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है, परंतु डिजिटल सहायता तथा तेज रिफंड से और सुधार संभव है। यह शोध नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

